

प्रेस नोट थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर दिनांक 17.02.2025

हत्या का प्रयास करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक गोरखनाथ के नेतृत्व में मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 43/2025 धारा 191(2)/352/115(2)/109(1)/324(2)/351(3)/315 बी0एन0एस0 व 3(1)द/ 3(1)ध/ 3(2)(v)/3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित अभियुक्त गोलू कुमार पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी मिर्जापुर पचपेडवा रामनगर कालोनी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.02.2025 को वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा गाड़ी खड़ी करने की बात को लेकर वादी मुकदमा को जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए भद्दी-भद्दी गालिया देने व जान से मारने की नियत से मारने-पीटने के संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता-

गोलू कुमार पुत्र महेन्द्र चौहान निवासी मिर्जापुर पचपेडवा रामनगर कालोनी थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 43/2025 धारा 191(2)/352,115(2),109(1),324(2)/351(3),3(5) भा0न्या0सं0 व 3(1)द,3(1)ध 3(2)(Va),3(2)V एस0सी0/एस0टी0 एक्ट थाना गोरखनाथ गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. प्र0नि0 शशिभूषण राय थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अजय कुमार श्रीवास्तव थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर
3. हे0का0 राजेश सिंह थाना गोरखनाथ जनपद गोरखपुर